(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 27/2024-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 28 अक्टूबर, 2024

सा.का.नि.... (अ), - केंद्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क के उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 11/2017-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक, 30 जून 2017, जिसे संख्या सा.का.नि. 793(अ), दिनांक 30 जून 2017, में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, तालिका में, क्रम संख्या 7ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्याओं और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)
"7ग.	2710 19 33	क्षेत्रीय कनेक्टिविटी स्कीम (आरसीएस)- उड़े देश का आम नागरिक (यूडीएएन) एयरपोर्ट या हैलीपोर्ट या वॉटरड्रोम की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी स्कीम उड़ानो के लिए चुनिंदा एयरलाइन ऑपरेटरों या कार्गो आपरेटरों के द्वारा लिया गया सम्मिश्र विमान टरबाइन ईंधन	2%
7घ.	2710 19 33	सम्मिश्र विमान टरबाइन ईंधन	11%";

2. यह अधिसूचना 29 अक्टूबर, 2024 से लागू होगी।

[फा.सं. 190341/74/2024-टीआरयू]

(अमृता टाइटस)

भारत सरकार के उप सचिव

टिप्पणीः - मूल अधिसूचना संख्या 11/2017- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 को सा.का.नि. सं. 793(अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार संशोधन दिनांक 25 जनवरी, 2024 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. सं. 71(अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित दिनांक 25 जनवरी, 2024 की अधिसूचना संख्या 04/2024- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के तहत किया गया था।